

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें ,राज. जयपुर

क्रमांक : प्रशि./जीएनएम/जी-88/2013/

दिनांक :

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक : प्रशि./जीएनएम/जी-88/2013/526 दिनांक 26.09.2013, 552 दिनांक: 28.09.2013, 555, 556 दिनांक 30.09.2013 एवं 561,562 तथा 563 दिनांक 03.10.2013 के द्वारा जीएनएम प्रशिक्षण सत्र 2013-14 के लिये निजी नर्सिंग स्कूल्स एवं उनकी सीटों के लिए जारी अंतिम सूची में निम्न निजी नर्सिंग संस्थानों के नाम उनके सम्मुख अंकितानुसार शामिल किये जाते हैं :-

| क्र.स. | अंतिम सूची में क्र.स. | संस्थान का नाम                                                                      | जिला    | कुल सीटे | 50 प्रतिशत राजकीय कोटे से | 50 प्रतिशत फ़ैडरेशन कोटे से | विशेष विवरण |
|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------------------|-----------------------------|-------------|
| 1.     | 138.                  | सीकर नर्सिंग ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, सीकर                                | सीकर    | 60       | 30                        | 30                          |             |
| 2.     | 139.                  | स्कूल ऑफ नर्सिंग जे. वातुमल ग्लोबल हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, माउण्ट आबू, सिरोंही | सिरोंही | 30       | 15                        | 15                          |             |

शेष शर्तें एवं मापदण्ड यथावत रहेंगे।

(के0एल0 स्वामी)

अति0 निदेशक (प्रशा.)

क्रमांक : प्रशि./जीएनएम/जी-88/2013/ 568

दिनांक : 03/10/2013

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (गुप-3) विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार, राजस्थान नर्सिंग कौंसिल, जयपुर।
3. प्रभारी सर्वर कक्ष, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय बैवसाईट पर अपलोड करे।
4. सचिव, राजकीय प्राईवेट नर्सिंग स्कूल फ़ैडरेशन, ई-277, लाल कोठी स्कीम, जयपुर।
5. प्रधानाचार्य, संबंधित निजी नर्सिंग स्कूल्स।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

457

(के0एल0 स्वामी)

अति0 निदेशक (प्रशा.),

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये

राज. जयपुर